भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 244

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी

*244. **श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :**

श्री आधि शंकर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रातों-रात गायब हो जाने वाली कंपनियों सहित उन संदिग्ध कंपनियों की संख्या का कोई रिकार्ड है, जिन्होंने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है और कितने निवेशकों ने इन कंपनियों में निवेश कर धोखा खाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें निवेश की अनुमानत: कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है तथा ऐसी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार धोखाधड़ी की पूर्व सूचना देने संबंधी मॉडल विकसित करने का है, जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों को बाजार में पैसे की संदिग्ध आवाजाही के बारे में पूर्व चेतावनी देगा और उसके बाजार संबंधी अनुसंधान और विश्लेषण यूनिट को सुदृढ़ करेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में निवेश परिदृश्य के बारे में लोगों को जानकारी देने और इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 14.3.2013 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) :

(i) बेईमान कंपनियां कई तरीकों से निवेशकों को धोखा देती हैं; जैसे पब्लिक ऑफर के माध्यम से धनराशि जुटाने के बाद 'लुप्त' हो जाना; कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क का उल्लंघन करते हुए अवैध रुप से जमाराशि वसूल करना; सेबी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नकली 'सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआईएस)' चलाना; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)' बनकर जनता से धनराशि एकत्र करना; तथा ईनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत 'पोंजी' अथवा धन परिचालन योजनाएं चलाना।

मंत्रालय ने ऐसी अनेक कंपनियों (लुप्त कंपनियों) के विरुद्ध कार्रवाई की है जिन्होंने पहले पब्लिक ऑफर जारी करके धनराशि जुटाई परंतु बाद में गायब हो गईं। मंत्रालय ने ऐसी भी अनेक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जिन्होने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क का उल्लंघन करते हुए लोगों को धनराशि लौटाई नहीं है। लुप्त कंपनियों और ऐसी कंपनियों जिन्होने लोगों से जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क का उल्लंघन किया है, के राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-क और ख में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त 87 कंपनियों के विरुद्ध निवेशकों को उच्च ब्याज दर का आश्वासन देकर धोखा देने की शिकायत मिली है। जिनका विवरण अनुलग्नक-ग में दिया गया है। इन मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत निरीक्षण/धारा 234 के अंतर्गत जांच का आदेश दिया गया है।

(ii) सेबी (सामूहिक निवेश योजना) नियमन, 1999 का उल्लंघन करते हुए कार्य करने वाली 669 कंपनियां सेबी के ध्यान में आई हैं। इन कंपनियों द्वारा वसूली गई धनराशि लगभग 7435 करोड़ रुपए है। इनमें से 75 कंपनियां समाप्त हो गई हैं और उन्होने निवेशकों को धनराशि लौटा दी है। 552 कंपनियों पर अभियोजन दायर किए गए हैं। 124 मामलों में दोषसिद्धि हो गई है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी उनके साथ पंजीकृत नॉन बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) में लोगों की जमाराशि/निवेश का नियमन किया जाता है। एनबीएफसी का दिखावा करने वाली और बेईमानी/धोखाधड़ी में शामिल अनिगमित कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच और आगे कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को भेजी जाती हैं।

(iv) कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होने विभिन्न छद्मों में धोखे से निवेश जमाराशि जुटाने की योजनाएं (जिन्हे पोंजी योजनाएं भी कहा जाता है) चलाई हैं और जिनके विरुद्ध इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम,1978 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम का प्रशासन वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और अभियोजन आदि के आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) : मंत्रालय ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चेतावनी देने हेतु एक 'धोखाधड़ी पूर्वसूचना मॉडल' विकसित करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। इसके अलावा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) में मौजूद बाज़ार अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (एमआरएयू) को पुनः गठित करने का भी प्रस्ताव है ताकि यह आसूचना यूनिट के रुप में कार्य कर सके।

(ड.): केन्द्र सरकार की संबंधित नियामक एजेंसियों ने लोगों को योजनाओं, आदि में निवेश करते समय सावधान रहने की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लोगों को निवेश के विभिन्न उपलब्ध साधनों के बारे में जानकारी देने के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (आईएपी) चलाए जाते हैं। इसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक अवैध रुप से धनराशि एकत्र करने में शामिल कंपनियों के विरुद्ध जनता को सावधान करने के लिए समाचारपत्रों में नियमित रूप से सूचना प्रकाशित करता है। समाचारपत्रों के संपादकों को भी बताया जाता है कि वे अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने से संबंधित विज्ञापनों के लिए सावधानी बरतें। फिलहाल भारतीय रिज़र्व बैंक पोंजी योजनाओं तथा अन्य वित्तीय कदाचारों का शिकार बनने से लोगों को बचाने का एक व्यापक अभियान चलाने की कार्रवाई कर रहा है। सेबी द्वारा भी देशभर के नगरों/ कस्बों में निवेशक जागरुकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसने हाल ही में इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्य से प्रचार अभियान शुरु किया है।

*****

अनुलग्नक-क

लोक सभा में दिनांक 14.3.2013 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

लुप्त हुई कंपनियों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	लुप्त हुई कंपनियों का नाम	राज्य
1.	आशी इंडस्ट्रीज लि. (पहले आशी फार्माकेम लि. के नाम से जाना जाता था)	गुजरात
2.	भावना स्टील कास्ट लि.	गुजरात
3.	सिटिजन यार्नस लि.	गुजरात
4.	क्रोमाकेम लि.	गुजरात
5.	फ्रंटलाइन फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	गुजरात
6.	जेनिन कोमोडिटिज डवलपमेंट क.लि.	गुजरात
7.	गिरिश होटल्स रीसॉर्ट्स एंड हेल्थ फार्म्स लि.	गुजरात
8.	ग्रोथ ग्रीनफिल्ड इंटरनेशनल लि.	गुजरात
9.	केसर ग्रीनफिल्ड इंटरनेशनल लि.	गुजरात
10.	लयोन्स इंडस्ट्रीयल एस्टेट इंटरप्राइजेज लि. (पहले लयोन्स रंगे फाइनेंस लि. के नाम से जाना जाता था)	गुजरात
11.	मानव फार्मा लि.	गुजरात
12.	मरिन कार्गो कंपनी लि.	गुजरात
13.	नाईसर्गिक अग्रीटेक (इंडिया) लि.	गुजरात
14.	नेटुरो पोस्ट लि.	गुजरात
15.	निशु फिनकैप लि. (पहले मेधा फाइनेंस एंड सिक्युरिटिज लि. के नाम से जाना जाता था।	गुजरात
16.	पुर ओपल क्रियेशन्स लि. (पहले नुलाइन ग्लासवायर (इंडिया) लि. के नाम से जाना जाता था)	गुजरात
17.	प्रोटेक सर्किट ब्रेकर्स लि.	गुजरात
18.	प्रोटेक स्वीचगीयर लि.	गुजरात
19.	श्री याक फार्मा एंड कॉसमेटिक्स लि.	गुजरात
20.	श्रीजी डयेकेम लि.	गुजरात
21.	श्री महालक्ष्मी एग्रीकल्चर डवलपमेंट क. लि.	गुजरात
22.	स्पिल फाइनेंस लि.	गुजरात
23.	सुपर डोमेस्टिक मशीन लि.	गुजरात
24.	सुशील पैकेजिंग्स (इंडिया) लि.	गुजरात
25.	तीर्थ प्लास्टिक्स लि.	गुजरात
26.	टॉपलाइन शू लि.	गुजरात
27.	आदित्य अल्कालोइ्स लि.	आन्ध्र प्रदेश
28.	कनारा क्रेडिट लि.	आन्ध्र प्रदेश
29.	डेजी सिस्टम्स लि.	आन्ध्र प्रदेश

30.	इमैप टेक्नोलॉजी लि.	आन्ध्र प्रदेश
31.	कमाक्षी हाऊसिंग फाइनेंस लि. (अब किशा इमपेक्स लि. के नाम से जाना जाता है)	आन्ध्र प्रदेश
32.	डेक्कन पेट्रोलियम लि.	आन्ध्र प्रदेश
33.	ऑरपाइन सिसटम्स लि.	आन्ध्र प्रदेश
34.	छकरी टायर्स एंड ट्यूब्स लि. या रायनो टायर लि. (अब राम टायर लि. के नाम से जाना जाता है)	आन्ध्र प्रदेश
35.	सिक्वल सॉफ्ट इंडिया लि.	आन्ध्र प्रदेश
36.	सिबर मीडिया एंड इंटरटेनमेंट लि.	आन्ध्र प्रदेश
37.	सिबर सॉफ्टवेयर सर्विसेस (इंडिया) लि.	आन्ध्र प्रदेश
38.	स्वाल कंप्यूटर्स लि.	आन्ध्र प्रदेश
39.	विजी साइबर टेक लि.	आन्ध्र प्रदेश
40.	अम्बुजा जिंक लि.	बिहार
41.	बोध गया सेरामिक्स लि.	बिहार
42.	किलसन ऑर्गेनिक्स लि.	बिहार
43.	श्री वैष्णवी प्रींटिंग एंड डाईग लि.	बिहार
44.	सेयरवेल हायजिन प्रोडक्ट्स लि.	चंडीगढ़
45.	सुखचैन सीमेंट लि. (पहले गणपति सीमेंट प्रा. लि. के नाम से जाना जाता था)	चंडीगढ़
46.	केडिया इंफोटेक लि. (पहले ग्रिवेस होटल्स लि. के नाम से जाना जाता था)	दिल्ली
47.	हॉफलैंड इंवेस्टमेंट्स लि. (पहले वाडरा इंवेस्टमेंट लि. के नाम से जाना जाता था)	दिल्ली
48.	सिम्पलेक्स होल्डिंग्स लि.	दिल्ली
49.	स्टार इलेक्ट्रोनिक्स लि.	दिल्ली
50.	जेड इंवेस्टमेंट लि.	दिल्ली
51.	फलोरा वाल कभरिंग्स लि.	कर्नाटक
52.	ओसियन निट्स लि.	कर्नाटक
53.	हाई-टेक ड्रग्स लि.	मध्य प्रदेश
54.	मध्यावर्त एक्सॉल लि.	मध्य प्रदेश
55.	राजाधीराज इंडस्ट्रीज लि.	मध्य प्रदेश
56.	साऊथ एसियन मशरूम्स लि.	मध्य प्रदेश
57.	स्टर्लिंग काल्क सैंड ब्रिक्स लि.	मध्य प्रदेश
58.	कैलडिन एयरकॉन लि.	महाराष्ट्र
59.	गोबाल एक्जीविशन लि. (पहले ग्लोबल नेटवर्क लि. के नाम से जाना जाता था)	महाराष्ट्र
60.	हितेश टेक्सटाइल मिल्स लि.	महाराष्ट्र
61.	इचकलंजि सोया लि.	महाराष्ट्र
62.	पशुपति केबल्स लि.	महाराष्ट्र
63.	रीयलटाइम फिनलीज लि.	महाराष्ट्र
64.	रुसोड एंड कंपनी लि.	महाराष्ट्र
65.	स्पार्कल फूड्स लि.	महाराष्ट्र

66.	विपुल सिक्युरीटिज लि.	महाराष्ट्र
67.	यूनिवर्सल विटा अलिमेंनटेयर लि.	उड़ीसा
68.	हॉलमार्क ड्रग्स एंड केमिकल्स लि (पहले लाइफलाइन ड्रग्स लि. के नाम से जाना जाता था)	पंजाब
69.	अमिगो एक्सपोर्ट लि.	तमिलनाडु
70.	क्रिस्टवर्ल्ड मरिन लि.	तमिलनाडु
71.	मा कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.	तमिलनाडु
72.	नागार्जुना जियो इंडस्ट्रीज लि.	तमिलनाडु
73.	पीके वदुवम्मल फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स लि. (अब नोवल फाइनेंस (आई) लि. के नाम से जाना जाता है)	तमिलनाडु
74.	पंगो एक्सपोर्ट लि.	तमिलनाडु
75.	साई ग्राह फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग लि.	तमिलनाडु
76.	श्याम प्रींटर्स एंड पब्लिशर्स लि.	तमिलनाडु
77.	एवीआर सिक्यूरिटिज लि.	तमिलनाडु
78.	ग्लोबल बलूम्स इंडिया लि.	तमिलनाडु
79.	रिज्वी एक्सपोर्ट लि.	उत्तर प्रदेश
80.	सेफाली पेपर्स लि.	उत्तर प्रदेश
81.	सिद्धार्थ फार्माकेम लि.	उत्तर प्रदेश
82.	विदियानि एग्रोटेक इंडस्ट्रिज लि.	उत्तर प्रदेश
83.	एशियन वेगप्रो इंडस्ट्रिज लि.	पश्चिम बंगाल
84.	किव फाइनेंस लि.	पश्चिम बंगाल
85.	ओरिएंटल रेमेडाइज एंड हर्बल्स लि.	पश्चिम बंगाल
86.	एसएसके फिजकल सर्विसेज लि.	पश्चिम बंगाल
87.	साकेत एक्सट्रुजियन्स लि.	पश्चिम बंगाल

लुप्त कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई

विवरण	कुल
लुप्त कंपनियों की कुल संख्या	87
उन कंपनियों की संख्या जिनके विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68 एवं 628 के तहत अभियोजन दायर किए गए	85
उन कंपनियों की संख्या जिनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत एफआईआर दायर किया/रजिस्टर किया गया	87

अनुलग्नक-ख

लोक सभा में दिनांक 14.3.2013 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जमाराशि की गैर-अदायगी हेतु प्राप्त शिकायतों तथा की गई दंडात्मक कार्रवाई की राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या	कंपनी अधिनियम की धारा 58क के उल्लंघन हेतु दायर अभियोजन
1.	दिल्ली एवं हरियाणा	76	03
2.	चंडीगढ़	--	03
3.	राजस्थान	02	04
4.	गुजरात	02	05
5.	मध्य प्रदेश	05	04
6.	तमिलनाडु	06	--
7.	केरल	02	01
8.	महाराष्ट्र	51	06
9.	उड़ीसा	--	02
10.	हैदराबाद	34	04
11.	कर्नाटक	04	04
	कुल	**182**	**36**

अनुलग्नक-ग

लोक सभा में दिनांक 14.3.2013 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 244 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उन कंपनियों की राज्य-वार सूची जिनके विरूद्ध पोंजी/एमएलएम योजनाओं में शामिल होने हेतु शिकायतें प्राप्त हुईं

पश्चिम बंगाल

1) मैसर्स विगयोर एलायड इंफ्रास्ट्रक्टर लि.
2) मैसर्स रोज वैली रीयल एस्टेट कंसट्रक्सन्स लि.
3) मैसर्स रोज वैली इंडस्ट्रीज लि.
4) मैसर्स सिल्वर वैली कम्युनिकेशन्स लि.
5) मैसर्स रोज वैली फूड बेवेरेज लि.
6) मैसर्स रोज वैली मार्केटिंग इंडिया लि.
7) मैसर्स रोज वैली इंफोटेक प्रा. लि.
8) मैसर्स रोज वैली होटल्स एंड इंटरटेनमेंट्स लि.
9) मैसर्स रोज वैली प्रोजेक्ट लि.
10) मैसर्स रोज वैली पत्रिका लि.
11) मैसर्स रोज वैली फिल्मस लि.
12) मैसर्स मॉडर्स इंवेस्टमेंट ट्रेडर्स प्रा. लि.
13) मैसर्स रोज वैली ट्रेवल्स प्रा. लि.
14) मैसर्स ब्रांड वैलू कम्युनिकेशन्स लि.
15) मैसर्स रोज वैली हाउसिंग डवलपमेंट फिनकैप कारपोरेशन लि.
16) मैसर्स रोज वैली एयरलाइन लि.
17) मैसर्स रोज वैली फैशन लि.
18) मैसर्स रुपासि बंगला प्रोजेक्स इंडिया लि.
19) मैसर्स रुपासि बंगला मीडिया एंड इंटरटेनमेंट लि.
20) मैसर्स रोज वैली रीयलकॉम लि.
21) मैसर्स शारदा रीयल्टी इंडिया लि.
22) मैसर्स आरटीसी प्रोपर्टीज इंडिया लि.
23) मैसर्स आरटीसी रीयल ट्रेड इंडिया लि.
24) मैसर्स जसोदा रीयल एस्टेट लि.
25) मैसर्स शारदा प्रीटिंग एंड पब्लिकेशन प्रा. लि.
26) मैसर्स शारदा एग्रो डवलपमेंट लि.
27) मैसर्स शारदा बायोगैस प्रोडक्सन प्रा. लि.
28) मैसर्स शारदा टूर एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.
29) मैसर्स शारदा आउटोमोबाइल्स इंडिया लि.
30) मैसर्स शारदा कंसट्रक्शन्स कंपनी प्रा. लि.
31) मैसर्स शारदा शॉपिंग मॉल प्रा. लि.
32) मैसर्स शारदा एजुकेशन इंटरप्राइजेज लि.
33) मैसर्स शारदा एक्सपोर्ट लि.
34) मैसर्स गोल्डमाइन एग्रो लि.

35) मैसर्स टावर इंफोटेक प्रा. लि.
36) मैसर्स चक्र इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
37) मैसर्स गोल्ड फिल्ड एग्रो लि.
38) मैसर्स गोल्डन लाइफ एग्रो इंडिया लि.
39) मैसर्स गोल्डन परिवार होल्डिंग एंड डवलपर्स इंडिया लि.
40) मैसर्स गोल्डमाइन फूड प्रोडक्ट लि.
41) मैसर्स हैलो इंडिया एक्सप्रेस सेल्स लि.
42) मैसर्स हैपी लाइफ रीयल्टी (इंडिया) लि.
43) मैसर्स आईकोर ई-सर्विसेस लि.
44) मैसर्स एमपीएस एक्वा मरिन प्रोडक्ट्स लि.
45) मैसर्स एमपीएस ग्रीनरी डवलपर्स लि.
46) मैसर्स एमपीएस इंडस्ट्रीज एंड एग्रो रीसर्ज लि.
47) मैसर्स एमपीएस रीसॉर्ट्स एंड होटल्स लि.
48) मैसर्स प्रयाग एग्रोटेक प्रा. लि.
49) मैसर्स प्रयाग इंफोटेक हाई-राईज लि.
50) मैसर्स प्रयाग इंफ्रा रीयलटर्स लि.
51) मैसर्स प्रयाग माइक्रो फाइनैंस
52) मैसर्स राहुल हाइट्स लि.
53) मैसर्स राहुल हाई-राइज लि.
54) मैसर्स रामेल इंडस्ट्रीज लि.
55) मैसर्स शाइन इंडिया एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
56) मैसर्स सिलकन प्रोजेक्ट इंडिया लि.
57) मैसर्स सनशाइन एग्रो-इंफ्रा लि.
58) मैसर्स सनशाइन इंडिया लैंड डवलप्रस लि.
59) मैसर्स यूरो एग्रो इंडाय लि.
60) मैसर्स यूरो आऊटोटेक लि.
61) मैसर्स यूरो होटल्स एंड रीसॉर्ट्स इंडिया लि.
62) मैसर्स यूरो हायजेनिक गुड्स लि.
63) मैसर्स यूरो इंफोटेक लि.
64) मैसर्स यूरो इंफ्रा रीयल्टी इंडिया लि.
65) मैसर्स यूरो लाइफ केयर लि.
66) मैसर्स ट्रेक्जिम लि.
67) मैसर्स यूरो वाकर्स लि.
68) मैसर्स वसुन्धरा रीयलकॉम लि.
69) मैसर्स विबग्योर एलायड इंडस्ट्रीज लि.
70) मैसर्स विश्वमित्र इंडिया कंसलटैंसी सर्विसेज लि.
71) मैसर्स विश्वमित्र इंडिया मल्टि-डवलपर्स लि.
72) मैसर्स वारिस हॉस्पिटल एंड डायग्नोसटिक सैंटर लि. (अब वारिस हेल्थकेयर लि.)
73) मैसर्स वारिस टेलेकम सर्विसेज लि. (वारिस टेल इंटरनेशनल लि.)

<u>राजस्थान</u>

1) मैसर्स पीएसीएल (इंडिया)लि.
2) मैसर्स गोल्डसुख ट्रेड इंडिया लि.

तमिलनाडु

1) मैसर्स युनिपे 2यू मार्केटिंग प्रा. लि.
2) मैसर्स युनिपे क्रिएटिव बिजनेस प्रा. लि.
3) मैसर्स युनिपे 2यू प्रोडक्सन प्रा. लि.
4) मैसर्स गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा.लि.
5) मैसर्स क्वेस्टनेट इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लि.

कर्नाटक

1) मैसर्स युनिगेटवे 2यू ट्रेडिंग प्रा. लि.

दिल्ली

1) मैसर्स स्पीकएशिया ऑनलाइन प्रा. (गैर-पंजीकृत)
2) मैसर्स बासिल इंटरनेशनल लि.
3) मैसर्स वामशि केमिकल्स लि.
4) मैसर्स अप्पेलाइन कॉसमेटिक्स एंड टॉयलेटरीज लि.
5) मैसर्स बासिल एक्सप्रेस लि.

उत्तर प्रदेश

1) मैसर्स निक्सिल फार्मासियुटिकल्स स्पेशलटाइज लि.

*****